

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा जिला- कोरबा (छ0ग0)


- आशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश -


क्रमांक : /सी0जे0एम0/2024

कोरबा, दिनांक : 26.11.2024


मैं, सीमा प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रमांक /सी0जे0एम0/2024 कोरबा, दिनांक : 30/09/2024 में निम्नानुसार संशोधन करती हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :-

- (01) **आबकारी वृत्त दक्षिण कोरबा** से उद्भूत होने वाले समस्त **छ.ग.आबकारी अधिनियम. 1915** से संबंधित प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला कोरबा, छ0ग0 के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
- (02) थाना सिविल लाईन रामपुर (चौकी सीएसईबी सहित) (धारा 354, 509 मादवि को छोड़कर) से उद्भूत होने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण **श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा, जिला कोरबा छ0ग0** के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (03) श्री राहुल शर्मा का स्थानांतरण हो जाने से कार्य विभाजन आदेश दिनांक 30.09.2024 में जहां-जहां **श्री राहुल शर्मा** लिखा गया है उसे **श्री लोकेश पाटले** पढ़ा जावे।


(सीमा प्रताप चन्द्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा (छ0ग0)


Principal District Judge
Korba (C.G.)

पाटले


26-11-24